(81)

एवं अधिभाषकों हस्ताक्षर

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग 14-26-2-16

रामनरेश तनय भोला यादव
निवासी गोयरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०)

..........आवेदक

श्री डी.के. शास्त्री, अभि० द्वारा आज दि. 6-5-16 को प्रस्तुत
6-5-16

//विरूद्ध//

1. हीरा पत्नी रमेश माली
2. रमेश तनय रामस्नेही माली
निवासी गोयरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०)

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार सरवई तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमाँक 201/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25–04–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि गोयरा स्थित भूमि खसरा नंबर 904 रकवा 0.470 हे0 भूमि भगवत तनय मनीराम ब्राह्मण के नाम पर भूमि स्वामी स्वामित्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। भगवत के लाऔलाद फौत होने पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना वादग्रस्त भूमि पर मईयादीन तनय वाऊर का नाम दर्ज कर दिया गया था तथा मइयादीन द्वारा वादग्रस्त भूमि को दानपत्र के माध्यम से ग्राम समाज भवन प्रबंधक रमेश माली को अंतरित कर दी गई तथा अनावेदक क्र.2 द्वारा जब वादग्रस्त भूमि पर बिना किसी अधिकार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया तब आवेदक को जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अभिलेख सुधार किया जाने व निर्माण कार्य रोके जाने हेतु एक आवेदन पत्र नायब सरवई के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार सरवई द्वारा दिनांक 18–04–2016 को स्थगन आदेश जारी किया गया तथा आगामी तिथि 28–04–2016 प्रदाय की गई थी परंतु दिनांक 25–04–2016 को अनावेदक द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र दिए जाने पर नायब तहसीलदार सरवई द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया हैं जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

Dilip Kumar Pasi (Adv.)
E.No. 1979/03
Board of Revenue Court Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9753356589

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1426-III-16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-5-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उन्हें प्रकरण की ग्राह्ता एवं स्थगन पर सुना गया। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार सरवई तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के प्रकरण क्र. 201/बी—121/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्व म.प्र. भू.रा.संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत पांचसाला खसरा वर्ष 2001 से 2011 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गोयरा स्थित भूमि खसरा नंबर 904 रकवा रकवा 0.470 हे0 भूमि भगवत तनय मनीराम के नाम पर दर्ज थी परंतु किस प्रकार व किस अधिकारी के आदेश से यह भूमि मइयादीन तनय वाऊर के नाम दर्ज की गई। अतएव इस तथ्य की जांच की जाये कि किस अधिकारी के आदेश से वादग्रस्त भूमि पर मइयादीन का नाम दर्ज किया गया है एवं क्या मइयादीन को दान पत्र लेख करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त था अथवा नहीं। परिणामतः आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गौरिहार को आदेशित किया जाता है कि वह तीन माह की अवधि के अंदर जांच पूर्ण करें तथा जांच पूर्ण होने तक मौके पर यथा स्थिति रखते हुए कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाये। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.